कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-23/2017- 392 **दिनांक :** 02/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल **रू0 604.651 लाख (छः करोड़ चार लाख पैंसठ हजार एक सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2017-23/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/2020- 04/आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 604.651 लाख (छः करोड़ चार लाख पैंसठ हजार एक सौ रूपये)** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	**विपत्र कोड**	**(राशि लाख में)**
मजदूरी	19S240601101580103	582.857
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101580323	21.794
कुल :-		**604.651**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101580103, 19S240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक–1254 दिनांक–20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

6. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरुप किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

8. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

11. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

14. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं

व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–23/2017–**392 दिनांक–02/6/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ पलामू/ दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ गढ़वा/ मेदिनीनगर/ देवघर/ दुमका/ राँची/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–23/2017–**392 दिनांक–02/6/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ रामगढ़/ धनबाद/ बोकारो/ गढ़वा/ लातेहार/ देवघर/ गोड्डा/ खूँटी/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2021–22 (पंचम वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10012.37	300.00	10312.37
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम0, गिरिडीह	150.00	15.019	0.450	15.469
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम0, गिरिडीह	200.00	20.025	0.600	20.625
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	75.00	7.509	0.225	7.734
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	100.00	10.012	0.300	10.312
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	200.00	20.025	0.600	20.625
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	50.00	5.006	0.150	5.156
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	150.00	15.019	0.450	15.469
8	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	160.00	16.020	0.480	16.500
9	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	100.00	10.012	0.300	10.312
10	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	200.00	20.025	0.600	20.625
11	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	100.00	10.012	0.300	10.312
12	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	85.00	8.511	0.255	8.766
13	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	128.00	12.816	0.384	13.200
14	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	25.00	2.503	0.075	2.578
15	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	300.00	30.037	0.900	30.937
योग :–		2023	202.551	6.069	208.620

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनभूमि पर भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2021–22 (पंचम वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12814.34	500.00	13314.34
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम0, गिरिडीह	150	19.222	0.750	19.972
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम0, गिरिडीह	150	19.222	0.750	19.972
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	270	34.599	1.350	35.949
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	185	23.707	0.925	24.632

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2021–22 (पंचम वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10012.37	300.00	10312.37
i	ii	iii	iv	v	vi
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	250	32.036	1.250	33.286
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	50	6.407	0.250	6.657
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	100	12.814	0.500	13.314
8	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	100	12.814	0.500	13.314
9	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	150	19.222	0.750	19.972
10	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	100	12.814	0.500	13.314
11	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	50	6.407	0.250	6.657
12	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	65	8.329	0.325	8.654
14	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	150	19.222	0.750	19.972
15	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	100	12.814	0.500	13.314
योग :–		**1870**	**239.629**	**9.350**	**248.979**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय वर्ष 2021–22 (पंचम वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			16550.30	750.00	17300.30
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	200	33.101	1.500	34.601
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	150	24.825	1.125	25.950
3	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	100	16.550	0.750	17.300
4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	200	33.101	1.500	34.601
5	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	100	16.550	0.750	17.300
6	सा0वा0 प्रमण्डल, दुमका	100	16.550	0.750	17.300
योग :–		**850**	**140.677**	**6.375**	**147.052**
सकल योग :–		**4743**	**582.857**	**21.794**	**604.651**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\DEVELOPMENT\2021-22\Allotment\Notified Forest & Soil Conservation\S.O. 23 dt 09.08.2017 (4)\5th year

अनुलग्नक–2 (क)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 रू0 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	14.00	4358.62	0.00	4358.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3785.77		3785.77	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे0	6.00	1867.98		1867.98	
	योग :–		**32.16**	**10012.37**	**300.00**	**10312.37**	

अनुलग्नक–2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 311.33 रू0 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	23.00	7160.59	0.00	7160.59	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.16	3785.77	0.00	3785.77	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1867.98	0.00	1867.98	
	योग–		**41.16**	**12814.34**	**500.00**	**13314.34**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी0 X 2 मी0 मजदूरी दर : 311.33 रू0 प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)**						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	35.00	10896.55	0.00	10896.55	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	750.00	750.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3785.77		3785.77	
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हे0	6.00	1867.98		1867.98	
	योग :–		**53.16**	**16550.30**	**750.00**	**17300.30**	

11/6/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/392 **दिनांक -** 02-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24193	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	6,734,200.00 रुपये सड़सठ लाख चौतीस हजार दो सौ
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24194	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	6,407,200.00 रुपये चौसठ लाख सात हजार दो सौ
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24195	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	4,210,800.00 रुपये बयालीस लाख दस हजार आठ सौ

योग: 17,352,200.00

रुपये एक करोड तीहत्तर लाख बावन हजार दो सौ

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 2/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/392 दिनांक - 02-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24196	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	3,371,900.00 रुपये तैंतीस लाख इकहत्तर हजार नौ सौ
5	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24197	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	6,861,100.00 रुपये अडसठ लाख इकसठ हजार एक सौ
6	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24198	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	4,451,400.00 रुपये चवालीस लाख इकावन हजार चार सौ

योग: रुपये तीन करोड बीस लाख छत्तीस हजार छः सौ 14,684,400.00

क्रमिक योग: 32,036,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/392 दिनांक - 02-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24199	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	2,783,300.00 रुपये सत्ताइस लाख तिरयासी हजार तीन सौ
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24200	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	2,883,400.00 रुपये अठाइस लाख तिरयासी हजार चार सौ
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24201	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	2,923,400.00 रुपये उन्तीस लाख तेइस हजार चार सौ

योग: रुपये चार करोड छः लाख छब्बीस हजार सात सौ 8,590,100.00

क्रमिक योग: 40,626,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24202	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	4,938,900.00 रुपये उनचास लाख अडतीस हजार नौ सौ
11	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24203	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	1,641,900.00 रुपये सोलह लाख इकतालीस हजार नौ सौ
12	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24204	HZBFWL007 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	1,684,000.00 रुपये सोलह लाख चौरासी हजार

योग: रुपये चार करोड अठयासी लाख इनकानवे हजार पाँच सौ 8,264,800.00

क्रमिक योग: 48,891,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 2/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24205	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 03 - मजदूरी	1,281,600.00 रुपये बारह लाख इक्कयासी हजार छः सौ
14	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24206	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	2,172,500.00 रुपये इक्कीस लाख बहत्तर हजार पॉच सौ
15	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24207	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	5,940,100.00 रुपये उनसठ लाख चालीस हजार एक सौ

योग: 9,394,200.00

क्रमिक योग: रुपये पॉच करोड बयासी लाख पिचयासी हजार सात सौ 58,285,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 2/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24208	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	270,000.00 रुपये दो लाख सत्तर हजार
17	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24209	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	247,500.00 रुपये दो लाख सैतालीस हजार पाँच सौ
18	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24210	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	157,500.00 रुपये एक लाख सत्तावन हजार पाँच सौ

योग: 675,000.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड नवासी लाख साठ हजार सात सौ 58,960,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 59.97.146.220 Run Date: 2/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24211	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	122,500.00 रुपये एक लाख बाइस हजार पाँच सौ
20	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24212	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	260,000.00 रुपये दो लाख साठ हजार
21	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24213	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	190,000.00 रुपये एक लाख नब्बे हजार

योग: 572,500.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड पिनचानवे लाख तैतीस हजार दो सौ 59,533,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/6/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24214	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	95,000.00 रुपये पिनचानवे हजार
23	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24215	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	98,000.00 रुपये अठानवे हजार
24	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24216	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	185,000.00 रुपये एक लाख पिचयासी हजार

योग: 378,000.00

क्रमिक योग: रुपये पाँच करोड निन्नानवे लाख ग्यारह हजार दो सौ 59,911,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/392 दिनांक - 02-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24217	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	55,000.00 रुपये पचपन हजार
26	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24218	HZBFWL007 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	58,000.00 रुपये अठावन हजार
27	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24220	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अडतीस हजार चार सौ

योग: 151,400.00

क्रमिक योग: रुपये छः करोड बासठ हजार छः सौ 60,062,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 2/6/2021

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/392 दिनांक - 02-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24221	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	82,500.00 रुपये बयासी हजार पाँच सौ
29	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24222	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	215,000.00 रुपये दो लाख पंद्रह हजार
30	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	24224	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	105,000.00 रुपये एक लाख पाँच हजार

योग: रुपये छः करोड चार लाख पैसठ हजार एक सौ 402,500.00

क्रमिक योग: 60,465,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 59.97.146.220 Run Date: 2/6/2021